न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः– 528/2017 (18 आयुध अधिनियम 1959)

हरभजन पुत्र सोन्या जाति पुरविया निवासी रौसी तहसील नादौती जिला करौली।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला मजिस्ट्रेट, करौली।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 5.6.2012

उपस्थितिः–

1. श्री गंगाराम शर्मा वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

निर्णय

दिनांकः 01.02.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 5.6.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अनुज्ञाधारी का शस्त्र अनुज्ञापत्र गुर्जर आन्दोलन के दौरान कानून व्यवस्था मध्येनजर आदेश दिनांक 16.9.2008 से निरस्त किया गया था । जिसकी अपील पूर्व में भी इसी न्यायालय में दायर की गई थी जिसमें दिनांक 28.2.2011 को अपील अपीलान्ट रिमाण्ड करते हुये यह निर्देश दिये गये थे कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः तार्किक निर्णय पारित करें। तदोपरान्त कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा बाद कार्यवाही दिनांक 5.6.2012 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये अपने पूर्व आदेश दिनांक 16.9.2008 को यथावत रखा गया है जिसके द्वारा अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निरस्त रखा गया है । इस आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया। तहत अदालत ने जिन आधारों पर अपीलान्ट का लाईसेंस निलम्बित किया है वो काबिल निरस्तनीय है। मात्र आशंकाओं व कयासों आधार पर बिना किसी कारण के किसी का लाईसेंस इस प्रकार निरस्त नहीं रखा जा सकता । जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 13.12.2011 के द्वारा अनुज्ञापत्र बहाली के संबध में असहमति जारी की है। जिसके आधार पर ही तहत अदालत ने अपने पूर्व आदेश दिनांक 16.9.2008 को यथावत रखा है। जिला पुलिस अधीक्षक करौली ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.12.2011 की मद संख्या 3 में अंकित किया है कि थानाधिकारी नादौती ने शस्त्र अनुज्ञापत्र के बहाली के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी अंकित नहीं की है वृत अधिकारी ने अनुज्ञाधारी के अनुज्ञापत्र की वहाली के बारे में आपत्ति रिपोर्ट भेज दी है। जिसके आधार पर यह अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जबकि न्यायालय हाजा के निर्देश थे कि गुणावगुण के आधार पर निर्णय होना चाहिऐ था। तहत अदालत को जिला पुलिस अधीक्षक से इस संबध में कारण पूछना चाहिऐ था कि क्या ऐसे ठोस कारण है जिससे कि अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र वहाली में कोई रूकावट या कोई कानूनी बिन्दु आ रहा है जिनके कारण अनुज्ञापत्र पर असहमति जारी की गई। वैसे भी अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र गुर्जर आन्दोलन के तहत ही निरस्त किया गया था अब वर्तमान में न तो कोई गुर्जर आन्दोलन है और न ही कोई चुनाव वगैरह फिर क्यों अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र वहाल नहीं किया जा रहा है कोई स्पष्ट कारण तहत अदालत के समक्ष नहीं था बाबजूद इसके तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो न्यायिक नहीं कहलाया जा सकता। यह आदेश एकतरफा में अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया आदेश है जिसकी उसे कतई जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट बार–बार पुलिस थाने के चक्कर लगाता रहा। तब दिनांक 1.11.2017 को मालुमात हुई और जिला मजिस्ट्रेट करौली के कार्यालय से अपीलाधीन आदेश की दिनांक 7.12.2017 को प्राप्त हुई। जानकारी होने की दिनांक से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। जिसके लिये पृथक से धारा–5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र संलग्न है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुये निरस्त किये गये शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक द्वारा तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.6.2012

की ताईद करते हुये कथन किया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों कि गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के चलते ऐसी स्थिति पैदा हो गयी थी कि जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा जिले के समस्त अनुज्ञाधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिये थे। जिनमें अपीलान्ट का भी शस्त्र अनुज्ञापत्र कानून व्यवस्था की दृष्टि से निरस्त किया गया था। इस संदर्भ में शस्त्र अनुज्ञापत्र के थाने में जमा होने, अनुज्ञापत्रधारी के चरित्र एवं अनुज्ञापत्र के बहाली/नवीनीकरण के संबध में जिला पुलिस अधीक्षक करौली से रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा अपीलान्ट को सुना गया। जिला पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.12.2011 के द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र के बहाली/नवीनीकरण किये जाने के संबध में आपत्ति रिपोर्ट प्रेषित की है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट करौली ने आयुध अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उचित आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस न्यायालय से पूर्व में पत्रावली रिमाण्ड की गई थी और यह निर्देश दिये गये थे कि अनुज्ञापन प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट करौली आर्म्स एक्ट की धारा 13 में अपेक्षित जिला पुलिस अधीक्षक करौली की टिप्पणी पुनः प्राप्त करें तथा अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देकर तार्किक एवं न्यायसंगत निर्णय पारित करें। किन्तु पत्रावली के अवलोकन से उक्त निर्देश की पालना किया जाना प्रतीत नहीं होता है। जिला पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.12.2011 की बिन्दु संख्या 3 में यह अंकित किया गया है कि '' थानाधिकारी नादौती ने शस्त्र अनुज्ञापत्र वहाली के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी अंकित नहीं की है। वृत्ताधिकारी ने शस्त्र अनुज्ञाधारी के हथियार लाईसेंस के बहालीकरण के बारे में आपत्ति रिपोर्ट प्रेषित की है''। मात्र इस रिपोर्ट के आधार पर ही तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। किन्तु दौराने तहत पत्रावली अवलोकन उसमें न तो थानाधिकारी नदौती की रिपोर्ट उपलब्ध पायी गई और न ही वृत्ताधिकारी की रिपोर्ट । जिन रिपोर्टों को तहत अदालत ने आधार बनाया गय है वह रिपोर्ट ही तहत पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा तहत अदालत ने उस कारण से भी रूबरू होने की आवश्यकता नहीं समझी जिनके आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा असहमति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जबकि तहत अदालत को चाहिऐ था कि जिला पुलिस अधीक्षक से तथ्यात्मक/सारगर्भित रिपोर्ट प्राप्त करते हुये उन कारणों को अपीलाधीन आदेश में

Web Copy - Not Official

अंकित करना चाहिऐ था जिनके आधार पर वास्तव में अनुज्ञापत्र की वहाली मुनासिब नहीं रहता है । अपीलान्ट के चरित्र के संबध में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य या सबूत पत्रावली पर उपलब्ध नहीं पाया गया है जिससे अपीलान्ट का चरित्र वर्तमान में संदिग्ध माना जा सके। लिहाजा जिला पुलिस अधीक्षक की अपूर्ण रिपोर्ट, थानाधिकारी एवं वृत्ताधिकारी की रिपोर्टों की तहत पत्रावली में अनुपलब्धता एवं तहत अदालत द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू न होने को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण पुनः नये सिरे से जांच हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.6.2012 गुणावगुण के आधार पर पारित करना प्रमाणित नहीं होने से अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश दिये जाते हैं कि अनुज्ञापन प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट करौली , जिला पुलिस अधीक्षक से पुनः कारण सहित अपीलान्ट के चरित्र आदि के संबध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करें। अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देकर एवं धारा 17 (3) की मंशा के अनुसार तार्किक एवं न्याय संगत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official